

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास :- सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 106/2017

जीसीएमएस :-2017/00659

1. श्योपत राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. ।

वादी :-

बनाम

1. ईमीलाल पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. ।
2. सुलतान राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजरख रायसिंहनगर ।
4. रामचन्द्र पुत्र शिवप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 15 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर ।

प्रतिवादीगण:-

अन्तर्गत धारा 53-88-188-209 राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थिति:-

श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता वादी
श्री अशोक कुमार धायल अधिवक्ता वादी
श्री राजाराम पूनियां अधिवक्ता प्रतिवादीगण

-:निर्णय :-

दिनांक:-29.04.2024

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि श्योपतराम पुत्र श्री रामरख की ओर से श्री सुभाष विश्नोई एवं श्री अशोक कुमार धायल अधिवक्ता ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188-209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पास संयुक्त खाता में चक 55 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 21 प.न. 211/336 व मु.न. 29 प.न. 211/337 में 2.670 है० नहरी भूमि व चक 36 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 7 प.न. 209/328 व मु.न. 24 प.न. 213/330 व मु.न. 44 प.न. 212/332 में 2.783 है० नहरी भूमि तथा चक 15 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 23 प.न. 18/349 में 6.325 है० नहरी/बारानी भूमि खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार फरमाई जावे कि चक 55 एन पी के मु.न. 21 प.न. 211/336 व मु.न. 29 प.न. 211/337 में 2.670 है० नहरी भूमि तथा चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 प.न. 198/349 के 6.325 है० नहरी/बारानी भूमि के खाता विभाजन की घोषणा की जावे कि वादी को चक 55 एन पी के मु.न. 21 प.न. 211/336 के कि.न. 4/0.253, 14/0.253, 7/0.253, 17/0.151, /0.910 है० नहरी भूमि एवं चक 36 एन पी के मु.न. 7 प.न. 209/328 के कि.न. 19/0.253, 20/0.253, 13/0.253, 18/0.126 /0.885 है० नहरी भूमि एवं चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 प.न. 198/349 के कि.न. 1/0.227, 2-3-4-5-6-7-8 सालम, सालम, 9/0.113 कुल 2.111 है० नहरी भूमि इस प्रकार कुल तीनों चकों की 3.906 है० नहरी भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार किलेवाईज घोषणा की जाकर विभाजन की डिक्री पारित की जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय वाजिब समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

अतः वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजाराम पूनिया अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया तथा वादी ने जबावबुल जबाव भी प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. '3 की ओर से जबाव स्टेट प्रस्तुत हुआ। इस पर वादी ने दिनांक 7.11.2017 को प्रार्थना-पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। इस पर वकील प्रतिवादी जबाव पेश करके सीधे की बहस की गई। जो प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.08.2018 को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में लाल स्याही से अंकन किया गया। उक्त वाद पत्र दिनांक 9.7.2016 को प्राथमिक डिक्री जमाबन्दी के हिस्सानुसार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को मथ नक्शा मौका भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र दिनांक 03.03.2020 को प्राप्त होने पर वकील प्रतिवादी सं. 2 के एतराज किया गया। जिस

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

विभाजन प्रस्ताव भिजवाने तहसीलदार रायसिंहनगर को दिनांक 8.02.2021 आदेश दिये गये।
 तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 4215 दिनांक 02.03.2021 के साथ जमाबन्दी चक 15
 ए ए डी की प्राप्त होने पर जिस में प्रार्थी रामचन्द्र 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज हैं विभाजन
 प्रस्ताव में प्रार्थी के नाम से भूमि विभाजन प्रस्ताव में प्रार्थी के नाम से भूमि का विभाजन कर प्रस्ताव
 प्राप्त हुआ। सहखातेदार होने के कारण प्रार्थी रामचन्द्र के द्वारा प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत करने पर
 न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2022 को स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया। जिस पर लाल स्याही से
 वाद पत्र में नाम अंकन किया गया। इस न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में
 तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भूअ./4215 दिनांक 2.03.2021के द्वारा भूमि
 विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र/राम/न्याय/स्था/ प
 51/2008/विधि/10546 दिनांक 5.10.2020 के अनुसार भिजवाया गया जिसके अनुसार वादी
 श्योपतराम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा. 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.न. 21
 के प.न. 211/336 के कि.न. 4/0.228, 7/0.228, 14/0.228,, 17/0.193, /0.877 है0 नहरी
 भूमि मय खाला व चक 36 एन पी मु.न. 7के कि.न. 13/0.253, 18/0.126, 19/0.253, 20/0.
 253है0/0.885है0 कुल 1.762है0 नहरी भूमि मय खाला (रहन बदस्तूर)
 प्रतिवादी सुलतान राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के
 मु.न. 21 के कि.न. 17/0.046है0, 24/0.253, /0.299 है0 नहरी भूमि , व मु.न. 29 के कि.न. 29
 के कि.न. 4/0.253, 7/0.253, 14/0.072, /0.578है0 नहरी भूमि मय खाला । चक 36 एन
 पी के मु.न. 7 के कि.न.18/0.127, 21ता 23/0.759/0.886है0 नहरीभूमि । चक 15 एस ए डी के
 मु.न. 23 कि .न. 9/0.169, 10/0.228, 11/0.227, 12 ता16 में 1.265है0, 17/0.194है0 /2.083
 है0 नहरी/बारानी इस प्रकार कुल 3.846है0नहरी/बारानी भूमि मय खाला।
 प्रतिवादी ईमीलाल पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.
 न. 29 के कि.न. 6/0.038, 14/0.105,15/0.253,16/0.253,25/0.228,/0.877है0 नहरी भूमि।
 चक 36 एन पी के मु.न.24 के कि.न. 1/0.253, 10/0.253, /0.506है0 नहरी भूमि। चक 15 एस
 ए डी के मु.न. 23 के कि.न.17/0.059है0, 18ता25 की 2.024है0 /2.083है0 नहरी/बारानी कुल 3.
 972 है0 नहरी/बारानी भूमि मय खाला।
 प्रतिवादी रामचन्द्र पुत्र श्री शिवप्रताप जाति विष्णोई साकिन 15 एस ए डी का हिस्से में चक 55 एन
 पी के मु.न.23 के कि.न.1/0.228, 2ता 8/1.771है0 , 9/0.084, कुल 2.083 है0 नहरी/बारानी
 भूमि।
 रास्ता चक 55 एन पी के मु.न. 21 के कि.न. 4/0.025, 7/0.025, 14/0.025,17/0.014,/0.
 089है0 व चक 15एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न. 1/0.025, 10/0.025,1/0.026, /0.076है0
 रास्ता। मौका नक्शा मय रिपोर्ट व तहसीलदार सलंन फाईल है।

उक्त विभाजन पर सम्बधित पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया। प्रतिवादी
 सुलतान राम के द्वारा उक्त भूमि विभाजन पर एतराज प्रस्तुत किया गया। पूर्व में भी एतराज किया
 गया था। पुनः तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय
 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्धारित प्रपत्र में तथा पक्षकारान की मौजूदगी में मौके पर
 जाकर तैयार किया गया। प्रकरण विभाजन का है जो काफी पुराना है। ऐसी स्थिति में वादी का
 वाद-पत्र भूमि विभाजन के प्रस्ताव दिनांक 02.03.2021 के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित
 प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एव
 तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.03.2021 के अनुसार वादी का
 वाद-पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि :- वादी श्योपतराम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार
 सा. 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.न. 21 के प.न. 211/336 के कि.न. 4/0.228,
 7/0.228, 14/0.228,, 17/0.193, /0.877 है0 नहरी भूमि मय खाला व चक 36 एन पी मु.न. 7
 के कि.न. 13/0.253, 18/0.126, 19/0.253, 20/0.253है0/0.885है0 कुल 1.762 है0 नहरी
 भूमि मय खाला (रहन बदस्तूर)
 प्रतिवादी सुलतान राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के
 मु.न. 21 के कि.न. 17/0.046है0, 24/0.253, /0.299 है0 नहरी भूमि , व मु.न. 29 के कि.न. 29
 के कि.न. 4/0.253, 7/0.253, 14/0.072, /0.578 है0 नहरी भूमि मय खाला । चक 36
 एन पी के मु.न. 7 के कि.न.18/0.127, 21ता 23/0.759 ./0.886है0 नहरी भूमि । चक 15 एस ए
 डी के मु.न. 23 कि .न. 9/0.169, 10/0.228, 11/0.227, 12 ता 16 में 1.265 है0, 17/0.
 194है0 /2.083 है0 नहरी/बारानी इस प्रकार कुल 3.846 है0 नहरी/बारानी भूमि मय खाला।
 प्रतिवादी ईमीलाल पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.
 न. 29 के कि.न. 6/0.038, 14/0.105, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.228,/0.877है0 नहरी भूमि।
 चक 36 एन पी के मु.न. 24 के कि.न. 1/0.253, 10/0.253, /0.506 है0 नहरी भूमि। मु.न. 44 के

उपस्थित अधिकारी
 रायसिंहनगर

14-15 0.506 है०, चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न.17/0.059 है०, 18ता 25 की
/2.083 है० नहरी/बारानी कुल 3.972 है० नहरी/बारानी भूमि मय खाला।
वादी रामचन्द्र पुत्र श्री शिवप्रताप जाति विश्नोई साकिन 15 एस ए डी का हिस्से में चक 15 एस
डी के मु.न. 23 के कि.न.1/0.228, 2 ता 8/1.771 है०, 9/0.084, कुल 2.083 है०

शी/बारानी भूमि।
ता चक 55 एन पी के मु.न. 21 के कि.न. 4/0.025, 7/0.025, 14/0.025,17/0.014,/0.
9 है० व चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न. 1/0.025, 10/0.025,11/0.026, /0.076 है०
स्ता। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी
पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।



(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.

सुभाष चन्द्र अधिकारी
राजसिंहगंज

डिक्री व मुकदमें इत्बादाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-I
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर ए एस

सं. 106/2017

सुभाष चन्द्र आर ए एस :-2017/00659

श्री शोपत राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. ।

बनाम
श्री ईमीलाल पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. ।

2 सुलतान राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार निवासी नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. ।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ।

4 रामचन्द्र पुत्र शिवप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 15 एस ए डी तहसील रायसिंहनगर ।

अन्तर्गत धारा 53-88-188-209 राज.काश्त. अधिनियम

प्रतिवादीगण :-

:-निर्णय :-

दिनांक:- 29.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई व श्री अशोक कुमार धायल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई श्री राजाराम पूनिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:- वादी शोपतराम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा. 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.न. 21 के प.न. 211/336 के कि.न. 4/0.228, 7/0.228, 14/0.228,, 17/0.193, /0.877 है0 नहरी भूमि मय खाला व चक 36 एन पी मु.न. 7 के कि.न. 13/0.253, 18/0.126, 19/0.253, 20/0.253 है0 कुल 1.762 है0 नहरी भूमि मय खाला (रहन बदस्तूर) प्रतिवादी सुलतान राम पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.न. 21 के कि.न. 17/0.046 है0, 24/0.253, /0.299 है0 नहरी भूमि, व मु.न. 29 के कि.न. 29 के कि.न. 4/0.253, 7/0.253, 14/0.072, /0.578 है0 नहरी भूमि मय खाला । चक 36 एन पी के मु.न. 7 के कि.न.18/0.127, 21ता 23/0.759, /0.886 है0 नहरी भूमि । चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 कि.न. 9/0.169, 10/0.228, 11/0.227, 12 ता 16 में 1.265 है0, 17/0.194 है0 /2.083 है0 नहरी/बारानी इस प्रकार कुल 3.846 है0 नहरी/बारानी भूमि मय खाला। प्रतिवादी ईमीलाल पुत्र श्री रामरख जाति सुथार सा0 36 एन पी के हिस्से में चक 55 एन पी के मु.न. 29 के कि.न. 6/0.038, 14/0.105, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.228, /0.877 है0 नहरी भूमि। चक 36 एन पी के मु.न. 24 के कि.न. 1/0.253, 10/0.253, /0.506 है0 नहरी भूमि। मु.न. 44 के कि.न. 14-15/ 0.506 है0, चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न.17/0.059 है0, 18ता 25 की 2.024 है0, /2.083 है0 नहरी/बारानी कुल 3.972 है0 नहरी/बारानी भूमि मय खाला। प्रतिवादी रामचन्द्र पुत्र श्री शिवप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 15 एस ए डी का हिस्से में चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न.1/0.228, 2 ता 8/1.771 है0, 9/0.084, कुल 2.083 है0 नहरी/बारानी भूमि। रास्ता चक 55 एन पी के मु.न. 21 के कि.न. 4/0.025, 7/0.025, 14/0.025,17/0.014, /0.089 है0 व चक 15 एस ए डी के मु.न. 23 के कि.न. 1/0.025, 10/0.025,11/0.026, /0.076 है0 रास्ता। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी हो।

डिक्री आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(सुभाषचन्द्र)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रूपया	रूपया	
1. वाद पत्र के लिए कोर्ट फीस	4.00	7. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
2. वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी	250	8. अर्जी के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प.....	-	9. प्लीडर की फीस	-
4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	10. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-
5. कमिश्नर की फीस	-	11. आदेशिका की तामील	-
6. आदेशिका की तामील	-	12. कमिश्नर की फीस	-
जोड़	254	जोड़	-

(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

दिनांक:-29.04.2024

क्रमांक / रीडर / 2024 /
प्रतिलिपि:-तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर